महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजिकृत कार्यालय:-साधना हाउस, द्वितिय तल,570 पी.बी. मार्ग वर्ली, मुम्बई-400018
दूरभाष:-022 66523500 फैक्स:022 24972741 CIN:U65922MH2007PLC169791
क्षेत्रीय कार्यालय:- तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 46-47, श्रीनाथ टॉवर, कॉस्मो कॉलोनी, अमरपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर - 302021

कब्जा सूचना

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 के संख्यांक 54)की धारा 13(12)तथा प्रतिभूति हित(प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत हित शक्तियों के प्रयोग में एक मांग पत्र निम्न ऋणीयों को उक्त सूचना पत्र,में वर्णित राशि सभी लागतों,खर्चा एवं व्ययों सहित भुगतान की वास्तविक दिनांक तक इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिनों में भुगतान हेतु जारी किया। उक्त ऋणीयों/सहऋणीयों द्वारा राशि के भुगतान करने में असफल रहने पर ऋणीयों/सहऋणीयों एवं जन सामान्य को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित(प्रवर्तन)धारा 13(4) के साथ सहपठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसकी प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में तुलम्बित नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य निम्नलिखित दिनांकों को ग्रहण कर लिया है।ऋणीयों को विशेषतया तथा जनसामान्य को सामान्यतया यह सूचित किया जाता है यह उक्त सम्पत्तियों में लेनदेन ना करें तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी लेनदेन महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निम्नलिखित सम्बन्धित राशि पर संबंधित दिनांक से उस पर भविष्य के ब्याज,लागतों एवं प्रभारों के अध्यधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा(8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता हैं।ऋणीयों/सह ऋणीयों/जमानतदारों अनुसूचित सम्पत्ति , बकाया राशि धारा 13(2)के अन्तर्गत भेजे गये मांग पत्र के अनुसार और दावा राशि जिसके अनुसार कब्जे की दिनांक नीचे दी गयी है।

क्र सं.	ऋणी/सह-ऋणी /जमानतदार का नाम/ऋण खाता संख्या	13(2) नोटिस की दिनांक एंव बकाया राशि	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	भौतिक कब्जे की दिनांक
1.	ऋणी:हगामा सह-ऋणी:महावीर बैरवा, सजनी देवी,पूजा बैरवा LAN:XSEMAJM00783076	13.08. 2021 रु. 8,41,427/- (रूपये आठ लाख इकतालीस हजार चार सौ सत्ताईस मात्र)	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग जो पट्टा नंबर-42, युक नं.03, ग्राम- कोटरी, ग्राम पंचायत- भगवंतपुरा, पंचायत समिति- अरई, जिला- अजमेर, राजस्थान (1920 वर्गफीट) जिसकी सीमाए:-पूर्व में:-आम सड़क, पश्चिम में:-प्रभु बैरवा का घर, उत्तर में:- आम सड़क दक्षिण में:- नंदा बैरवा का घर	27-08-2022
2.	ऋणी:नारायण सह-ऋण: गंगा बाई LAN:XSEMUDP00511521	25.07. 2022 रु.17,33,115/- (रूपये सत्रह लाख तैंतीस हजार एक सौ पंद्रह मात्र)	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग जो आवादी आवासीय पट्टा नं. 2240, आराजी खसरा नं. 504, संकल्प नं. 3, ग्राम-सीलावास, ग्राम पंचायत-गोडाना, पंचायत समिति - झाडोल, उदयपुर(1858.10 वर्गफुट) जिसकी सीमाए:-पूर्व में:-आम रास्ता पश्चिम में:- गामला पुत्री बाबू का मकान, उत्तर में:-स्वम की भूमि दक्षिण में:-लालू राम पुत्र बाबू लाल कालबेलिया की भूमि	01-09-2022

दिनांक: 01.09.2022 स्थान: राजस्थान

हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी), महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

रेलिगेयर एंटरप्राईजेज लिमिटेड

RELIGARE Values that bind

CIN: L74899DL1984PLC146935

पंजीकृत कार्यालय: 1407, 14वीं मंजिल, चिरंजीव टॉवर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019
फ़ोन: +91-11-4472 5676
वेबसाइट: www.religare.com | ईमेल: investorservices@religare.com

38वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग की जानकारी और बुक क्लोजर

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड ("**कंपनी**") की 38वीं वार्षिक आम बैठक (जिसे इसके बाद "**एजीएम**" कहा जाएगा) एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("**वीसी**" / "**ओएवीएम**") के माध्यम से, 16 अगस्त, 2022 के एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे (IST) आयोजित की जाएगी।

सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ("**एमसीए**") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 02/ 2022 दिनांक 13 मई, 2022, और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ("**सेबी**") द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 के साथ पठित (बाद में सामूहिक रूप से "**परिपत्र**" के रूप में संदर्भित) के अनुसार कंपनी ने एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्टैंडअलोन और समेकित अंकेक्षित वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों को भेजा है जिनके ई-मेल पते कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.religare.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड www.nseindia.com और क्रमशः www.bseindia.com पर और कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट की वेबसाइट अर्थात केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("**केफिनटेक**") https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध है। यदि शेयरधारक वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति के लिए अनुरोध करते हैं, तो उन्हें वह भेजी जाएगी। ईमेल के माध्यम से एजीएम की सूचना का प्रेषण गुरुवार, 01 सितंबर, 2022 को पूरा कर लिया गया है।

सदस्यों को केफिनटेक द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे https://emeetings.kfintech.com पर जाएं और उन्हें प्रदान किए गए रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों के लॉगिन तक पहुंचें।

रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए निर्देश:

i. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("**अधिनियम**") की धारा 108 के अनुसार, समय-समय पर संशोधित, और सेबी के विनियमन 44 (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("**सूचीकरण विनियम**"), के अनुपालन में सदस्यों को केफिनटेक द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। जो सदस्य, शुक्रवार, 16 सितंबर, 2022 ("**कट-ऑफ तिथि**") के अनुसार शेयरों को या तो भौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में धारण करते है, KFintech के https://evoting.kfintech.com के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना वोट डाल सकते है। एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि के अनुसार दर्ज किया गया है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की कुल वोटिंग पूंजी में उनके शेयरों के चुकता मूल्य के अनुपात में होंगे।

ii. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **सोमवार, 19 सितंबर, 2022 (सुबह 9 बजे IST) से शुरू होगी और गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 (5:00 बजे IST) को समाप्त होगी।** इसके बाद केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी संकल्प पर सदस्य द्वारा वोट कर दिए जाने के बाद, सदस्य इसे बाद में संशोधित नहीं कर सकता है।

iii. डीमैटेरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग सहित वोटिंग के तरीके सहित सूचना और निर्देश और उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, एजीएम के नोटिस में और केफिनटेक द्वारा सदस्यों को भेजे गए ईमेल में प्रदान किए गए हैं।
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद और कट-ऑफ तिथि से पहले शेयर हासिल करने वाले सदस्य कंपनी को Investservices@religare.com पर या KFintech को einward.ris@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

iv. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य लेकिन जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि वे एजीएम में ई-वोटिंग के लिए पात्र नहीं होंगे।

v. एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.religare.com पर भी उपलब्ध है। कृपया KFintech की वेबसाइट यानी https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए 'ई-वोटिंग यूजर मैनुअल' देखें। कोई भी सदस्य जिसके पास ई-वोटिंग से संबंधित कोई प्रश्न/शिकायत है, श्री एस वी राजू, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500032 से 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं या einward.ris@kfintech.com पर ईमेल करें।

भौतिक और डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे लिंक https:// ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx का उपयोग करके अस्थायी रूप से अपनी ईमेल आईडी आरटीए के साथ पंजीकृत कर सकते हैं, और उसके बाद निर्देशित पंजीकरण प्रक्रिया का पालन करें या वैकल्पिक रूप से सदस्य हस्ताक्षरित अनुरोध की स्कैन की गई प्रति, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन कॉपी और क्लाइंट मास्टर कॉपी प्रदान करने वाला पत्र और इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में एजीएम की सूचना और वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से और/या, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए और रिमोट ई-वोटिंग के लिए ईमेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर एक ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में ईमेल पतों के स्थायी पंजीकरण/अपडेशन के लिए, सदस्य संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अनुरोध भेज सकते हैं और भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को अनुरोध भेज सकते हैं।

सूचीकरण विनियमों के नियमों और विनियम 42 के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार **सूचित** किया जाता है कि, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शनिवार, 17 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक एजीएम के प्रयोजन के लिए बंद रहेंगे।

इसके अलावा, शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि एजीएम में शामिल होने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और वोट डालने के तरीके आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए एजीएम नोटिस में निर्धारित नोट्स को ध्यान से पढ़ें।

निदेशक मंडल के आदेश से
रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
रीना जयरा
कंपनी सचिव

दिनांक: 01 सितंबर, 2022
स्थान : नई दिल्ली

मेगास्टार फूड्स लिमिटेड

सीआईएन: L15311CH2011PLC033393
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं0. 807, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, चंडीगढ़ 160102
कार्य: गांव सोलखियां, हवेली रिसॉर्टस के पास, जिला रूपनगर, 140108
टेलीफोन: +91 1881 240401; वेबसाइट: www.megastarfoods.com; ई-मेल: cs@megastarfoods.com

विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विडियो साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली 11वीं वार्षिक साधारण बैठक के संबंध में सदस्यों को सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए मेगास्टार फूड्स लिमिटेड के सदस्यों की 11वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को सुबह 11:00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

कोविड-19 महामारी को देखते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने परिपत्रों दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसम्बर, 2021 एवं 5 मई, 2022 तथा सेबी ने अपने परिपत्रों दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 एवं 13 मई, 2022 (आम बैठकों के लिए एमसीए परिपत्र एवं आम बैठकों के लिए सेबी परिपत्र संयुक्त रूप से "**आम बैठकों के लिए एमसीए एवं सेबी परिपत्र**" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से आम स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आम बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी है। अधिनियम, सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्कयताएं) विनियम, 2015 ("सूचीयन विनियम"), आम बैठकों के लिए एमसीए एवं सेबी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी की एजीएम आम स्थल पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

उपरोक्त कथित एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र के संदर्भ में एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा शुक्रवार, 02 सितम्बर, 2022 को भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरीज/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत हैं। सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता उपरोक्त कथित एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र के माध्यम से हटा दी गई है।

सदस्यगण सीडीएसएल ई-वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से 11वीं एजीएम के आयोजन की सूचना में विनिर्देशित किसी या सभी व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("रिमोट ई-वोटिंग") के द्वारा अपना वोट दे सकते हैं। अधिनियम के अनुसरण में विवरण निम्नानुसार है:

क) केवल कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार, 19 सितम्बर, 2022 को भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने एवं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग का लाभ उठाने और सूचना में विनिर्देशित किसी या सभी व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट देने के पात्र होंगे।

ख) **रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 को प्रातः 09:00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और रविवार, 25 सितम्बर, 2022 को सायं 05:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी।** इस अवधि के दौरान कट-ऑफ तिथि को भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में कंपनी के शेयर धारण करने वाले सदस्यगण अपना वोट इलेक्ट्रॉनिकली दे सकते हैं। वोटिंग के लिए उपरोक्त कथित तिथि एवं समय के बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा और सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद, सदस्य को बाद में उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

ग) ऐसा व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है वह इसे केवल जानकारी का प्रयोजन मात्र समझे।

घ) ऐसा सदस्य जिसका ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पहले से पंजीकृत है, वह एजीएम की सूचना में दिये गये अनुसार ई-वोटिंग के लिए निर्देशों का पालन कर सकता है। सदस्यगण जिनका ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं है, वह ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने एवं ई-मेल आईडी पंजीकरण के लिए एजीएम की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

ङ) रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए निर्देश भी एजीएम की सूचना में दिये गये हैं।

च) कोई व्यक्ति जो सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि को शेयर धारण करता है वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए"), स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी-153ए, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020, फोन : 011-40450193 से 197 को लिख सकते हैं। सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के आनुपातिक होगा।

छ) निदेशक मंडल ने एजीएम में ई-वोटिंग एवं रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए श्री कनवलजीत सिंह, पेशेवर कंपनी सचिव (सीओपी नं. 5870 एवं एम. नं. 5901) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.megastarfoods.com एवं सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम में ई-वोटिंग) के संबंध में किसी भी पूछताछ या परेशानी के मामले में आप www.evotingindia.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") एवं ई-वोटिंग मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर लिख सकते हैं या श्री राकेश दलवी, वरि. प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेन्ट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन यूचुरैक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013 से सम्पर्क कर सकते हैं या ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल भेज सकते हैं या 022-23058542/43 पर कॉल कर सकते हैं।

कृते मेगास्टार फूड्स लिमिटेड
हस्ता/-
धीरज खेरीवाल
कंपनी सचिव

स्थानः चंडीगढ़
दिनांकः 02 सितंबर, 2022

बिक्री सूचना

रेडियस इन्फ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड – (परिसमापन में)

पंजी कार्यालय : ट्राइकोन टॉवर, प्लॉट नं. 4बी, द्वितीय तल, मयूर विहार जिला सैन्टर, मयूर विहार एक्सटेंशन, दिल्ली–110091
परिसमापकः अरविंद गर्ग
परिसमापक का पताः 302–ए. पाल मोहन प्लाजा, देश बंधु गुप्ता रोड करोल बाग, नई दिल्ली –110005
ईमेलः arvindgarg31@gmail.com, radius.arvind@gmail.com संपर्क नं. +91- 97189 31858, 011-47724484/ 85
दिवाला और ऋण शोध अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन कॉर्पोरेट देनदार की ई–नीलामी बिक्री चलते हुए व्यापार की तरह

नीलामी की तिथि और समयः मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 अपा. 03.00 बजे से अपा. 4.00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ)

रेडियस इन्फ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड–परिसमापन–में की एक चालू कन्सर्न के रूप में बिक्री परिसमापक द्वारा, जो माननीय राष्ट्रीय विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आदेश दिनांकित 31 मई, 2021 द्वारा नियुक्त किया गया है। यह बिक्री परिसमापक द्वारा ई–नीलामी प्लेटफार्म : **https://ncltauction.auctiontiger.net** के माध्यम से निष्पादित की जाएगी।

क्र.सं.	आस्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	बोली वृद्धि राशि	धरोहर राशि
1.	कार्पोरेट देनदार की एक चालू कन्सर्न के रूप में बिक्री, कार्पोरेट देनदार की ग्राहकों की प्रतिभूति जमाओं के प्रति देयताओं सहित **विशिष्ट बहिष्करण :** क. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य (हाथ रोकड़, बैंक में रोकड़ तथा अन्य साविध जमाएं)। ख. कोई आस्ति अथवा दिवाला एवं ऋणशोध अक्षमता संहिता, 2016 के चैप्टर–।।। के अनुसार सौदों से बचने के लिए कार्यवाही के माध्यम से वसूल किया गया उसका मूल्य ग. कतिपय लम्बित मुकदमे, जिनका विवरण डेटा रूम में उपलब्ध करवाया जाएगा। घ. अनाहूत पूंजी तथा/अथवा अदत्त पूंजी अंशदान (उनपर शेयर प्रीमियम सहित) के प्रति कार्पोरेट देनदार के किसी अंशदायी से वसूल की गई कोई देयबकाया राशि	₹ 14,00,00,000/-	₹ 5,00,000/-	₹ 1,00,00,000/-

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं

1. ई–नीलामी **"जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर"** के आधार पर अनुमोदित सेवा प्रदाता **मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर)** के माध्यम से संचालित की जाएगी।
2. कॉर्पोरेट देनदार, उसकी संपत्ति और देनदारियों का निरीक्षण हेतु **दिनांक 02 सितम्बर 2022 से 16 सितम्बर 2022 तक**, केवल इच्छुक व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर और ई‌एमडी जमा करने की अंतिम तिथि **16 सितम्बर 2022 को अपा. 05.00 बजे तक** है।
3. **माननीय एनसीएलटी से अनुमोदन के बाद अंतिम बिक्री की पुष्टि की जाएगी।**
4. ई–नीलामी प्रक्रिया के पूर्ण दस्तावेज जिसमें **रेडियस इन्फ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड परिसमापन में, चालू कन्सर्न के रूप में बिक्री** आस्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई–नीलामी बिड फार्म, घोषणा तथा वचनपत्र फार्म, ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री के साधारण नियम एवं शर्तें दी गई हैं, वेबसाइट **https://ncltauction.auctiontiger.net** पर उपलब्ध हैं।

सम्पर्क : श्री प्रवीन थेवर, मो. +91-97227 78828, 079-68136841
ईमेल: praveen.thevar@auctiontiger.net, nclt@auctiontiger.net

अरविन्द गर्ग,
परिसमापक
रेडियस इन्फ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड–परिसमापन में
IBBI पंजीकरण सं. IBBI/IPA-003/IP-N00029/2017-2018/10189
पताः 302ए पाल मोहन प्लाजा, करोल बाग, नई दिल्ली–110005
ईमेल : arvindgarg31@gmail.com, radius.arvind@gmail.com
फोन : +91-97189 31858

दिनांकः 02.09.2022
स्थान : नई दिल्ली

Genus

energizing lives

GENUS PRIME INFRA LIMITED

(Formerly Gulshan Chemfill Limited)
(CIN: L24117UP2000PLC032010)
Regd. Office: Near Moradabad Dharam Kanta, Kanth Road, Harthala, Moradabad-244001 (U.P.)
Phone: 0591-2511242 Website: www.genusprime.com, Email: cs.genusprime@gmail.com

Notice of Annual General Meeting and E-Voting Information

Notice is hereby given that the 22nd Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Genus Prime Infra Limited ("the Company") is scheduled to be held on Thursday, September 29, 2022 at 11:30 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), read with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the SEBI in this regard (Collectively referred to as "applicable circulars") to transact the business as set forth in the Notice of AGM. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of AGM by following the procedure mentioned in the Notice of AGM. In accordance with the applicable circulars, the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 have been sent on September 01, 2022 to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on website of the Company at www.genusprime.com, website of the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com and website of the Stock Exchange at www.bseindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, and applicable circulars, members holding shares as on the cut-off date i.e. September 22, 2022 may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of AGM through remote e-voting or e-voting during the AGM. The detailed procedure or instructions for e-voting are contained in the Notice of AGM. In this regard, the Members are hereby informed that:

(i) The remote e-voting shall commence on Monday, September 26, 2022 at 9.00 am (IST) and end on Wednesday, September 28, 2022 at 5.00 pm (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
(ii) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after 5.00 p.m. (IST) on September 28, 2022.
(iii) It is hereby clarified that it is not mandatory for a member to vote using the remote e-voting facility. Members have also an option to cast their vote through e-voting by attending the AGM. Members can opt for only one mode of voting. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
(iv) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. September 22, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. A person, who is not a Member as on the said cut-off date, should treat this Notice or Notice of AGM for information purposes only.
(v) Any person who has acquired shares of the Company and become member after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Thursday, September 22, 2022 may obtain login ID and password by sending a request to the Company at cs.genusprime@gmail.com or to the RTA at rta@alankit.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing login ID and password can be used for casting vote.
(vi) The shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.
(vii) Member participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
(viii) In case of any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543).
(ix) All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022- 23058738 / 022-23058542/43.
(x) The Company has appointed Ms. Komal, Practicing Company Secretary (FCS No.11636, CP No.17597) (M/s. Komal & Associates), of Delhi, as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process prior to the AGM and e-voting during the AGM in a fair and transparent manner.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, September 23, 2022 to Thursday, September 29, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

By order of the Board of Directors
For Genus Prime Infra Limited
(Formerly Gulshan Chemfill Limited)
Sd/-
Kunal Nayar
Company Secretary

Place: Moradabad
Date: September 01, 2022

KANPUR FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED

(पूर्व का कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट लिमिटेड)
सीआईएनः **U24233UP2010PLC040828**
पंजीकृत कार्यालयः सेक्टर-128, नोएडा-201304 (उ.प्र.) दूरभाषः +91 120 4609000, फैक्सः +91 120 4963122
ई-मेलः **kfcl.investor@jalindia.co.in**, वेबसाइटः **www.kfclkanpur.com**

12वीं वार्षिक आम बैठक तथा बुक क्लोजर के सम्बन्ध में सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बिना किसी सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति देते हुए कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में 12वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को लेन-देन करने के लिए कंपनी की 12वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्